MRA AN USIUS The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 468] No. 468] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 22, 2003/ज्येष्ठ 1, 1925 NEW DELHI, THURSDAY, MAY 22, 2003/JYAISTHA 1, 1925

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिस्चना

नई दिल्ली, 19 मई, 2003

का.आ. 575(अ). —केन्द्र सरकार गोदी कामगार (रोजगार का विनियमन) नियमावली, 1962 के नियम 4 के साथ पठित गोदी कामगार (रोजगार का विनियमन), 1948 (1948 का 9) की धारा 5क की उपधारा (3) तथा (4) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की दिनांक 13 जुलाई, 1999 की अधिसूचना सं. का.आ. 579 (अ) का अतिक्रमण करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त धारा 5क की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित कांडला गोदी श्रमिक बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात :-

(1) केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य :

- 1. अध्यक्ष, कांडला पत्तन न्यास, कांडला।
- श्री ची. के. अग्रवाल, अवर सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 3. उपाध्यक्ष, कांडला गोदी कामगार बोर्ड, कांडला।
- 4. यातायात प्रबंधक, कांडला पत्तन न्यास कांडला।
- सहायक आयुक्त (एल), गुजरात सरकार, गांधीधाम।

(II) गोदी श्रिमकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य :

1. श्री ए. एम. पटेल

कांडला पत्तन कर्मचारी संघ (इंटक)

2. श्रीके, एच. कन्नड्

कांडला पत्तन तथा गोदी अ.जा./अनु. ज.जा. कर्मचारी संघ

* परिवहन एवं गोदी श्रमिक संघ के प्रतिनिधि

4.

5.

गोदी श्रमिकों तथा शिपिंग कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य : **(III)**

श्री योगेश मेहता 1. कांडला स्टीवडोर्स एसोसिएशन लि. के प्रतिनिधि 2. श्री फकीर चन्द बंसल

श्री मयंक पारिख 3. भारत में शिपिंग हित संघ के प्रतिनिधि

कैप्टन के. बी. अग्रवाल 4. भारतीय राष्ट्रीय पोत मालिक संघ के प्रतिनिधि

श्री ए. आर. कार्निक भारतीय खाद्य निगम. जिला प्रबंधक (एफ. सी. आई.) के प्रतिनिधि

2. केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कांडला पत्तन न्यास के अध्यक्ष को उक्त बोर्ड का अध्यक्ष नामांकित करती है।

परिवहन एवं गोदी श्रमिक संघ के 3 पद संघ से संस्तुति न मिलने के कारण रिक्त रखे गए हैं।

[फा. सं. एल बी-13014/3/2002-यू एस (एल)] आर. के. जैन, संयक्त सचिव

MINSTRY OF SHIPPING (Ports Wing) NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2003

S.O.575.(E)— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and (4) of Section 5A of Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) read with Rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Transport Wing), No. S.O. 579 (E) dated 13th July, 1999, the Central Government hereby appoints the following persons to be members of Kandla Dock Labour Board established under sub-section (1) of the said Section 5A, namely :-

MEMBERS REPRESENTING THE CENTRAL GOVERNMENT: **(I**)

- L Chairman, Kandla Port Trust, Kandla.
- 2. Shri V.K. Aggarwal, US(L), Ministry of Shipping, New Delhi.
- 3. Dy. Chairman, Kandla Dock Labour Board, Kandla.
- 4 Traffic Manager, Kandla Port Trust, Kandla.
- 5. Asstt. Commissioner (L), Government of Gujarat, Gandhidham.

(II)MEMBERS REPRESENTING THE DOCK WORKERS:

I. Shri A.M. Patel Kandla Port Karmchari Sangh (INTUC)

2. Shri K. H. Kannad Representative of Kandla Port & Dock SC/ST Employees' Union. 3

* Representatives of Transport And Dock Worker's Union. 4.

(III)MEMBERS REPRESENTING THE EMPLOYERS OF DOCKWORKERS & SHIPPING COMPANIES.

1. Shri Yogesh Mehta, Representatives of Kandla Stevedores' Association Ltd.

2. Shri Fakirchand Bansal

3. Shri Mayank Parikh, Representative of Association of Shipping Interest in India.

4. Capt. K.B. Agarwal, Representative of Indian National Ship Owners Associations.

5. Shri A.R. Karnik, Representative of Food Corporation of India, District Manager, FCI.

2. The Central Government hereby nominates the Chairman, Kandla Port Trust, Kandla as the Chairman of the said Board.

*3 seats of Transport & Dock Worker's Union have been kept vacant in the absence of the recommendation in this regard from the Union.

> [F. No. LB-13014/3/2002-US(L)] R. K. JAIN, Jt. Secy.